भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 822

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

822. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, और 2023-24 के दौरान मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर-आयुष (आम-आयुष) के लिए जिलावार, कार्यक्रमवार और घटकवार आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और संबधित जिला पंचायतों द्वारा इसके लिए प्रदान किए गए समतुल्य अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आयुष औषधियों, वस्तुओं और अन्य उपभोज्य वस्तुओं की खरीद करते समय जिला आयुष अधिकारियों द्वारा केटीपीपी (कर्नाटक लोक उपापन में पारदर्शिता) अधिनियम का पालन नहीं किए जाने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उनके विरूद्व की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और;

(घ) इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान निधि उपयोग की लेखापरीक्षा रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों [जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है] की स्थापना कर्नाटक सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, मौजूदा आयुष औषधालयों/स्वास्थ्य उप-केंद्रों के उन्नयन के माध्यम से आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के संचालन का प्रावधान है। एनएएम के तहत, एनएएम की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने 376 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को मंजूरी दी है और वितीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को 1771.435 लाख रुपये का समेकित केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है। स्वीकृत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के संचालन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक राज्य का हिस्सा (40%) जारी किया गया है। मंत्रालय द्वारा कोई निधि जिलावार, कार्यक्रम-वार और घटक-वार जारी नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष

2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि खरीद का कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

(घ): वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) सहित कुल निधि उपयोग की स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है।

****

संलग्नक-I

कर्नाटक राज्य सरकार को जारी किए गए केंद्रीय हिस्से की स्थिति

लाख रुपये में

क्र.सं.	**वर्ष**	**जारी केंद्रीय हिस्से**
1	2020-21	0
2	2021-22	525.645
3	2022-23	394.666
4	2023-24	851.124
	कुल	1771.435

संलग्नक-II

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) सहित उपयोग की गई कुल निधि की स्थिति

लाख रुपये में

क्र.सं.	**वर्ष**	**निधि**
1	2020-21	2098.729
2	2021-22	1777.795
3	2022-23	947.787
	कुल	4824.311